CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 167 □ रायपुर, शुक्रवार 10 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा नियमों में दसवां संशोधन जारी किया

डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं

नई दिल्ली, 10 जुलाई (न्यूज चैनल)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को दवा नियमों में दसवां संशोधन जारी किया है। यह नया नियम, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के छह महीने बाद प्रभावी होगा। नए नियमों के तहत 30 एमएल से बड़ी पैकिंग और 12 प्रतिशत से ज्यादा एथिल अल्कोहल वाली सभी ओरल दवाओं को शेड्यूल ।।1 में शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर को इनकी बिक्री का रिकॉर्ड भी निर्धारित नियमों के अनुसार रखना होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग्स रूल्स, 1945 में किए गए इस बड़े बदलाव का उद्देश्य उन दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना है जिनमें एथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। इस कदम का मकसद उन प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना है जिनमें अल्कोहल का ज्यादा कंसंट्रेशन होता है और जिन्हें शायद नॉन-मेडिकल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक कुछ आयुर्वेदिक दवाओं जैसे इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित टिंचर को शेड्यूल-के के तहत लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त थीं। इन दवाओं में कई बार 80 से 90 प्रतिशत तक एथिल अल्कोहल होता है। सरकार को आशंका थी कि इनका इस्तेमाल इलाज की बजाय नशे के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में कई राज्यों ने भी चिंता जताई थी। इसी को देखते हुए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल (1/1) वाली और 30 मिलीलीटर से अधिक पैकिंग में बिकने वाली ऐसी सभी दवाओं को शेड्यूल के की छूट नहीं मिलेगी। यानी इन दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की निगरानी बेहतर होगी। इनका वितरण केवल अधिकृत दवा चैनलों के माध्यम से होगा। इससे गलत इस्तेमाल या नशे के लिए दुरुपयोग की आशंका कम होगी। साथ ही, जिन मरीजों को वास्तव में इन दवाओं की जरूरत है, उन्हें ये पहले की तरह उपलब्ध होती रहेंगी। सरकार के अनुसार यह कदम देश में दवा नियमन को और मजबूत बनाने, दवाओं के सही उपयोग को बढ़ावा देने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा कफ सिरप

इससे पहले 16 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि कफ सिरप समेत सिरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। ग्राहकों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। यह बदलाव खांसी और मुंह से ली जाने वाली लिक्विड दवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ने और उन पर रेगुलेटरी नजर बढ़ने के बीच किया गया था।

फसल बचाने खेत में लगाया करंट, चपेट में आने से युवक की मौत

कवर्धा, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली में फसल को पशुओं से बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरु कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव के एक खेत में मक्के की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत की मेड़ पर करंट वाला फेसिंग तार लगाया गया था। मृतक रामभीषण जब खेत की ओर जा रहा था, तभी वह इस करंट वाले तार की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना जोरदार था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पंडरिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी जांच कर रही है कि खेत में इस तरह करंट लगाना किसकी लापरवाही थी।

नक्सल हिंसा थमने के बाद अब जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की उठने लगी मांग

हजारों ग्रामीणों ने रैली निकाल कर किया प्रदर्शन

बीजापुर, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। बस्तर में नक्सल संबंधी मामलों में वर्षों से जेलों में बंद आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इस मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर पूरी स्थिति पर चर्चा की और प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। ग्रामीणों ने 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से मिलने का फैसला लिया है। नक्सल समस्या के लगातार कमजोर पड़ने और बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बीच अब नक्सल मामलों में वर्षों से जेलों में बंद बताए जा रहे निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों और उनके परिजनों ने स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बैठक के बाद विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेसवार्ता में बताया कि कई परिवारों का कहना है कि उनके परिजन वर्षों से नक्सल मामलों में जेलों में बंद हैं, जबकि वे निर्दोष हैं। ऐसे मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

परिजनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है, जो जल्द ही सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखेगा। ग्रामीणों ने मांग की कि जिस प्रकार हाल के वर्षों में आत्मसमर्पण करने वाले कई हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में सरकार ने राहत दी है, उसी तरह निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों के मामलों की भी समीक्षा कर उन्हें न्याय दिया जाए। उनका कहना है कि निर्दोष लोगों को वर्षों तक नक्सली बताकर जेल में रखना उनके परिवारों के साथ गंभीर अन्याय है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि आदिवासी समाज का बड़ा वर्ग आज भी कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं से पूरी तरह परिचित नहीं है। आर्थिक तंगी और कानूनी सहायता के अभाव में अनेक परिवार वर्षों तक अदालतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। कई परिवार इस कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं।उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में नक्सल मामलों में बंद सभी निर्दोष आदिवासियों के प्रकरणों की विशेष समीक्षा कर उनकी रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह केवल व्यक्तिगत न्याय का विषय नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के विश्वास और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है।

विधायक ने कहा कि वे स्वयं भी इस विषय पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर ग्रामीणों की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे। बैठक के बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपकर निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की शीघ्र रिहाई की मांग की।

ब्रेकिंग न्यूज

राम मंदिर ट्रस्ट में कथित गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली, 10 जुलाई (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इस बीच ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के वीआईपी दर्शन पास आईडी ब्लॉक होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि पास पहले की तरह जारी हो रहे हैं। उन्होंने यूपी पुलिस और प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया। उधर, एसआईटी की प्रारंभिक जांच में राम मंदिर के दान गिनती कक्ष में गंभीर सुरक्षा चूक सामने आई है। जांच के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में 27 अप्रैल से 5 जून के बीच करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिलीं, जिनमें कुछ कर्मचारी कपड़ों, जेबों और जूतों में नकदी छिपाते दिखाई दिए।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से पहले बीमार पड़ गए हैं।
चुहिया- हां जी, सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद से ही तबियत बिगड़ रही है..!

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विकसित किया अभिनव 'रेन वाटर इन्ग्रेस टेस्ट बेंच'

अब बिना बारिश के भी होगी रेल कोचों में पानी रिसाव की जांच

बिलासपुर, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कोचिंग डिपो ने नवाचार, संरक्षा एवं यात्री सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए रेल कोचों में वर्षा जल के रिसाव (रैन वाटर इंग्रेस) की जांच के लिए स्वदेशी रेन वाटर इन्ग्रेस टेस्ट बेंच विकसित किया है। इस अभिनव प्रणाली के माध्यम से कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिसियल रैन सिमुलेशन) का वातावरण तैयार कर कोचों की छत, खिड़कियों, साइड पैनलों तथा अन्य संवेदनशील जोड़ों से होने वाले संभावित जल रिसाव की प्रभावी जांच एवं समय रहते उसका निराकरण किया जा सकेगा। अब तक वर्षा जल के रिसाव की पहचान मुख्यत: प्राकृतिक बारिश पर निर्भर रहती थी, जिसके कारण वर्षभर इसकी जांच संभव नहीं हो पाती थी।

इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर कोचिंग डिपो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अधिकांशत: स्क्रैप सामग्री से इस टेस्ट बेंच का डिजाइन एवं निर्माण किया। केवल कुछ आवश्यक पुर्जों की ही बाजार से खरीद की गई, जिससे यह प्रणाली अत्यंत किफायती एवं संसाधन-सक्षम सिद्ध हुई है। यह अभिनव टेस्ट बेंच वर्षभर कृत्रिम वर्षा परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कोचों में छिपे हुए जल रिसाव की समय रहते पहचान कर उसे सेवा में शामिल करने से पहले ही दूर किया जा सकता है। इससे मानसून के दौरान यात्रियों को जल रिसाव जैसी असुविधाओं से राहत मिलेगी, कोचों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा बार-बार होने वाले रखरखाव की आवश्यकता भी कम होगी। इसकी पोर्टेबल डिजाइन के कारण इसका उपयोग पारंपरिक कोचों के साथ-साथ आधुनिक वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के कोचों में भी किया जा सकता है। यह स्वदेशी नवाचार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल न केवल कोच अनुरक्षण की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक एवं बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से मानसून के दौरान वर्षा जल रिसाव से संबंधित शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

स्वदेशी नवाचार से यात्रियों को मिलेगा अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक सफर

छग में अब कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित

❑ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सरकार का बड़ा फैसला

❑ 1 अप्रैल की स्थिति में तय होगी उम्र, अलग-अलग कक्षाओं के लिए नियम

रायपुर, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बच्चों के फाउंडेशनल स्टेज को मजबूत करने और प्राथमिक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए संबंधित शैक्षणिक सत्र के 01 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के लिए आयु सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है। नर्सरी (बालवाटिका-1)- 3 वर्ष से अधिक एवं 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार केजी-1 (बालवाटिका-2)- 4 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से कम, केजी-2 (बालवाटिका-3)- 5 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम, कक्षा पहली में- 6 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए शासन ने नियमों में थोड़ी शिथिलता भी दी है। इसके तहत यदि कोई बच्चा 01 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन 01 जुलाई तक उसकी आवश्यक आयु पूर्ण हो जाती है, तो उसे अधिकतम तीन माह की छूट प्रदान करते हुए संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर नियम लागू- यह नई व्यवस्था राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय (निजी) और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगी। साथ ही, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी यह नियम पूरी तरह प्रभावी रहेगा।

बाघों के खाल की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई

पासेवाड़ा रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड निलंबित

बीजापुर, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पासेवाड़ा कोर एरिया में बाघ खाल तस्करी के बहुचर्चित मामले में वन विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। विभाग ने पासेवाड़ा रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर और एक बीट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच अभी जारी है। जांच समिति की रिपोर्ट और सामने आए तथ्यों के आधार पर गुरुवार को विभाग ने पासेवाड़ा रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर और एक बीट गार्ड को निलंबित किया।

वन विभाग के अनुसार अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बीते 3 जुलाई को इंद्रावती टाइगर रिजर्व आईटीआर के पासेवाड़ा कोर एरिया में दो बाघों के शिकार का खुलासा हुआ था। जिस कोर एरिया में बिना अनुमति प्रवेश तक संभव नहीं है, वहां शिकारियों का पहुंचकर दो बाघों का शिकार करना वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह पहली बार नहीं है जब आईटीआर की सुरक्षा और निगरानी पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी रिजर्व और आसपास के वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के शिकार, वन्यजीव अंगों की तस्करी और अवैध गतिविधियों को लेकर जांच हो चुकी हैं। वन विभाग ने कहा है कि जांच अभी जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे भी आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

लगातार वर्षा से महानदी परियोजना के जलाशयों में बढ़ा जलभराव

गंगरेल, मुरूमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी, सिंचाई और पेयजल के लिए राहत

धमतरी 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। महानदी परियोजना अंतर्गत गंगरेल (रविशंकर सागर), मुरूमसिल्ली, दुधावा एवं सोंढूर जलाशयों के कैंचमेंट एरिया में लगातार हो रही वर्षा के कारण जलस्तर और जलभराव में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा 9 जुलाई 2026 को जारी जलस्तर प्रतिवेदन के अनुसार चारों प्रमुख एवं मध्यम जलाशयों में जल आवक जारी है, जिससे सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय का पूर्ण जलभराव स्तर (एफआरएल) 347.75 मीटर है। वर्तमान में जलाशय का जलस्तर 343.75 मीटर दर्ज किया गया है। जलाशय में लगभग 399.81 मिलियन घनमीटर (करीब 74.68 प्रतिशत) लाइव स्टोरेज उपलब्ध है। बीते 24 घंटे के दौरान जलाशय में लगातार आवक बनी रही, जिससे जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। मुरूमसिल्ली जलाशय का वर्तमान जलस्तर 423.21 मीटर दर्ज किया गया है। जलाशय में लगभग 206.66 मिलियन घनमीटर (72.74 प्रतिशत) लाइव स्टोरेज उपलब्ध है। लगातार वर्षा के चलते जलाशय में जल आवक बनी हुई है। दुधावा जलाशय का जलस्तर 1388.48 मीटर दर्ज किया गया है। यहां लगभग 137.98 मिलियन घनमीटर जल का संग्रह है तथा जलाशय में लगातार आवक जारी है। इसी प्रकार सोंढूर जलाशय का वर्तमान जलस्तर 468.30 मीटर दर्ज किया गया है। जलाशय में लगभग 137.89 मिलियन घनमीटर जल संग्रहित है और वर्षा के कारण इसमें भी निरंतर जल आवक हो रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महानदी परियोजना के सभी प्रमुख जलाशयों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मानसून की सक्रियता बनी रहने पर आने वाले दिनों में जलभराव में और वृद्धि की संभावना है। विभाग द्वारा जलाशयों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आवश्यकता के अनुसार जल प्रबंधन संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

जिले में औसत 80.7 प्रतिशत वर्षा दर्ज

जिले में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। 10 जुलाई 2026 की स्थिति में जिले में औसतन 4.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं 1 जून 2026 से अब तक जिले में 234.6 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 10 वर्षों की इसी अवधि की औसत वर्षा 290.7 मिमी का 80.7 प्रतिशत है। तहसीलवार वर्षा आंकड़ों के अनुसार मगरलोड तहसील में अब तक 283.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा का 98.2 प्रतिशत है और जिले में सबसे अधिक है। इसके बाद कुकरेल में 252.0 मिमी (89.6 प्रतिशत), बेलरगांव में 229.4 मिमी (85.1 प्रतिशत), नगरी में 250.4 मिमी (84.3 प्रतिशत), कुरूद में 230.2 मिमी (78.2 प्रतिशत) तथा धमतरी में 240.8 मिमी (74.5 प्रतिशत) वर्षा दर्ज की गई है। वहीं भखारा तहसील में अब तक 156.3 मिमी वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य वर्षा का 55.5 प्रतिशत है।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज से पार हो रहे टैंकर, पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण शांति

नई दिल्ली, 10 जुलाई (न्यूज चैनल)। अमेरिका और ईरान के बीच हवाई हमलों के बावजूद पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण शांति बरकरार है। ईरान ने कई जगहों पर हमले का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने हमले करने से इनकार किया है। जिससे लग रहा है कि दोनों पक्ष भले ही एक दूसरे पर हवाई हमले कर युद्धविराम तोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लड़ाई नहीं छिड़ी है और दोनों ही पक्ष अब अपनी तरफ से शांति बरतने की कोशिश कर रहे हैं।

होर्मुज में भी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन सामान्य बनी हुई है और होर्मुज से तेल और गैस टैंकरों की आवाजाही जारी है। 7 से 9 जुलाई के बीच जापान के ही 22 टैंकर होर्मुज से निकले हैं। इनके अलावा कई अन्य देशों के टैंकर भी सामान्य रूप से होर्मुज से गुजरे हैं। इससे पता चलता है कि होर्मुज पर ईरान ने नाकेबंदी नहीं की है,

जैसा कि उसने चेतावनी दी थी। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि उसके दक्षिणी राज्य बुशहर में सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिका ने हमले की बात से इनकार किया है।